जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

पत्रांक: BRLPS/Proj-LS/463/13/ 4110 **दिनांक:** 26.03.2021

कार्यालय आदेश

जीविका द्वारा बकरी उत्पादक समूहों एवं नोडल ग्राम संगठनों के माध्यम से बकरीपालन की गतिविधि 2017 से संचालित है | इस विषय में कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या - BRLPS / Proj. / 463/13/1042 दिनांक 31.5.2017 (बकरी उत्पादक उत्पादक समूह) एवं कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या BRLPS/Project/463/13/Vol-II/1366 dated 18.07.2019 (नोडल ग्राम संगठन) निर्गत किये गये हैं | इनके तहत बकरियों की मृत्यु दर में कमी लाने, बेहतर प्रजनन और विपणन जैसे कार्य कर बकरी पालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों /उत्पादक समूहों के सदस्यों की आय में वृद्धि की जानी है |

प्राप्त अनुभवों, गतिविधि के अवलोकन और वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए, बकरी उत्पादक समूह और नोडल ग्राम संगठन को दी जाने वाली राशि के प्रावधान निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

बकरी उत्पादक समूह के लिए आवंटित राशि					
क्र.सं.	**विवरण**	**मद**	**इकाई**	**इकाई लागत (₹ में)**	**कुल लागत (₹में)**
1.1	बकरियों / मेमनों के लिए पशु चिकित्सक सेवाएँ	CIF	एकमुश्त (परिक्रमी) (Revolving Fund)		10,000/-
1.2	बकरियों / मेमनों का डी-वर्मिंग और टीकाकरण	CIF	एकमुश्त (परिक्रमी) (Revolving Fund)		15,000/-
1.3	चिकित्सा किट	CIF	1	8000/-	8,000/-
1.4	बकरियों / मेमनों के लिए पैथोलॉजिकल जाँच	CIF	एकमुश्त		4,000/-
1.5	प्रदर्शन के लिए अज़ोला किट	CIF	2	1000/-	2,000/-
1.6	वजन करने वाली डिजिटल मशीन	CIF	1	4000/-	4,000/-
1.7	मोबाइल हैंडसेट	CIF	1	8000/-	8,000/-
CIF उप-योग					**51,000/-**
2.1	प्रशिक्षण	CID	5 मॉड्यूल (प्रत्येक सदस्य)	₹2400 / मॉड्यूल (120 सदस्यों के लिए)	12,000/-
2.2	स्टील का डिब्बा	CID	1	2000/-	2,000/-
2.3	व्हाइट बोर्ड	CID	1	2000/-	2,000/-

2.4	दरी	CID	2	2000/-	4,000/-
2.5	पीजी मीटिंग खर्च	CID	24	300/-	7,200/-
2.6	लेखन सामग्री	CID	एकमुश्त		4,000/-
2.7	अन्य खर्च	CID	एकमुश्त		20,000/-
CID उप-योग					**51,200/-**
कुल योग (CIF + CID)					**1,02,200/-**

नोडल VO के लिए आवंटित राशि					
क्र.सं.	**विवरण**	**मद**	**इकाई**	**इकाई लागत (₹ में)**	**कुल लागत (₹ में)**
1.1	बकरियों / मेमनों के लिए पशु चिकित्सक सेवाएँ	CIF	एकमुश्त (परिक्रमी) (Revolving Fund)		10,000/-
1.2	बकरियों / मेमनों का डी-वर्मिंग और टीकाकरण	CIF	एकमुश्त (परिक्रमी) (Revolving Fund)		15,000/-
1.3	चिकित्सा किट	CIF	1	8000/-	8,000/-
1.4	बकरियों / बच्चों के लिए पैथोलॉजिकल जाँच	CIF	एकमुश्त		4,000/-
1.5	प्रदर्शन के लिए अज़ोला किट	CIF	2	1000/-	2,000/-
1.6	वजन करने हेतु डिजिटल मशीन	CIF	1	4000/-	4,000/-
1.7	मोबाइल हैंडसेट	CIF	1	8000/-	8,000/-
CIF उप-योग					**51,000**
2.1	प्रशिक्षण	CID	5 मॉड्यूल (प्रत्येक सदस्य)	रु.2400 / मॉड्यूल (120 सदस्यों के लिए)	12,000
2.2	अन्य खर्च	CID	एकमुश्त		20,000
CID उप- योग					**32,000**
कुल योग (CIF + CID)					**83,000**

जिला परियोजन समन्वय इकाई (DPCU) द्वारा बकरी उत्पादक समूह या नोडल ग्राम संगठन में राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा:

क्र.सं.	सामुदायिक संस्थान	CIF (₹ में)	CID (₹ में)	कुल (₹ में)
1	उत्पादक समूह (PGs)	51,000	51,200	**1,02,200** **(एक लाख दो हज़ार दो सौ मात्र)**
2	नोडल ग्राम संगठन (VO)	51,000	32,000	**83,000** **(तिरासी हज़ार मात्र)**

नोट: इस व्यय से संबंधित विवरण अनुलग्नक 1 में उल्लिखित है।

बकरी उत्पादक समूह में आवंटित राशि के संवितरण के पूर्व निम्न कार्य पूर्ण होने चाहिए .

1. नोडल ग्राम संगठन द्वारा पशु सखी का चयन सम्पन्न हो जाना |
2. पशु सखी का मॉड्यूल I पर प्रशिक्षण पूर्ण होना |
3. पशु सखी द्वारा आस-पास के गाँव / गाँवों के कम से कम 100 बकरी पालक घरों का सर्वेक्षण |

आवंटित राशि के संवितरण के पूर्व ग्राम संगठन की अर्हता :-

1. ग्राम संगठन कम से कम 6 महीने पुराना हो |
2. नोडल ग्राम संगठन द्वारा पशु सखी चयनित हो गयी हो |
3. पशु सखी का मॉड्यूल I पर प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो |
4. पशु सखी द्वारा आस-पास के गाँव / गाँवों के कम से कम 100 बकरी पालक घरों का सर्वेक्षण किया जा चूका हो |

अन्य निर्देश:

- बकरी उत्पादक समूह या नोडल ग्राम संगठन द्वारा बकरीपालन गतिविधि की जरूरतों के आधार पर BPIU द्वारा राशि की मांग की जाएगी | BPM/प्रभारी BPM और लाइवस्टॉक प्रबंधक/YP की अनुशंसा के आधार पर DPCU द्वारा संबंधित बकरी उत्पादक समूह या नोडल ग्राम संगठन में राशि भेजी जायेगी |
- लाइवस्टॉक प्रबंधक/YP पशु सखियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे | प्रशिक्षक या तो ToT (Training of Trainers) प्राप्त कर्मी या भागीदार एजेंसी (जैसे AKF-आगा खां फाउंडेशन) से नामित व्यक्ति हो सकता है |
- पशु सखी के मानदेय का भुगतान पशुसखी नीति (परिशोधित) पत्रांक संख्या BRLPS/Proj/463/13/खंड-2/794 दिनांक 08.06.2018 के अनुरूप होगा | इसके लिए, बकरी उत्पादक समूह / नोडल ग्राम संगठन को अगले 3 महीनों के पशु सखी मानदेय के लिए मांग करते हुए मांगपत्र (indent) BPIU में जमा करना होगा | मांगपत्र में उसकी सेवाओं के आधार पर स्थायी मानदेय और प्रोत्साहन राशि दोनों शामिल होंगे (यह एक अनुमानित राशि होगी) | पशु सखी का मानदेय वास्तविक काम के आधार पर संबंधित परियोजना के कैडर मानदेय मद के तहत बुक किया जाएगा |
- परिक्रमी निधि (Revolving Fund) व्यय (Expenditure) के रूप में बुक की जाएगी | पीजी / नोडल ग्राम संगठन द्वारा परिक्रमी निधि (Revolving Fund) के व्यय और राशि की वापसी की स्थिति का लेखा पुस्तकों में अभिलेखित होगा | बकरीपालन गतिविधि से संबंधित सभी लेन-देन के संधारण के लिए नोडल ग्राम संगठन में एक तत्संबंधी पूरक लेखा पंजी का संधारण आवश्यक होगा |

- इस हेतु आवंटित राशि का उपयोग पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित "समग्र बकरी एव भेड़ विकास" योजना के कार्यान्वयन की दिशा हेतु बकरी हाट के लिए निर्गत कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या BRLPS/Proj/463/13/1042 दिनांक 31.05.17 के अनुसार किया जायेगा |
- पशु सखी द्वारा सम्पादित किए गए कार्यों का संधारण पशु सखी एप द्वारा किया जाएगा | इस हेतु प्रत्येक पशु सखी को उत्पादक समूह या नोडल ग्राम संगठन द्वारा निश्चित विशिष्टताए (Specification) वाला मोबाइल प्रदान किया जाना है| जिसका अधिकतम मूल्य 10,000 रुपये (दस हज़ार) होगा| जिसमें 8000 (आठ हज़ार) रुपये का अंशदान परियोजना द्वारा दिया जाएगा तथा शेष राशी पशु सखी का अंशदान होगा| लगातार तीन वर्षों तक सेवा प्रदान करने के उपरांत मोबाइल का स्वामित्व संबंधित पशु सखी की होगी जिसका निर्णय संबंधित उत्पादक समूह या नोडल ग्राम संगठन लेगी|

(बालामुरुगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सह-राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. All DPMs/Managers-Livestock
2. All PC`s/SPM`s/SFM`s/PM`s/AFM`s
3. OSD/Director/CFO/PS/PO
4. Concerned File.

अनुलग्नक -

CIF घटक		
क्र.सं.	**विवरणी**	**विवरण**
1	बकरियों / मेमनों के लिए पशु चिकित्सक सेवाएँ	इस राशि का उपयोग तत्काल उपचार के मामले में किया जा सकता है। दवा की कीमत सम्बंधित बकरी पालकों से ली जायेगी |
2	बकर/मेमनों का वि-कृमिकरण और टीकाकरण	डी-वर्मर और टीका की खरीद के लिए इस राशि का उपयोग किया जायेगा | डी-वर्मिंग और टीकाकरण के लिए बकरी पालकों से पत्रांक संख्या - BRLPS / proj / 463/13 / Vol-II / 794 (पशु सखी नीति) के अनुसार शुल्क लिया जायेगा |
3	चिकित्सा किट	मेडिकल किट पीजी / नोडल VO की संपत्ति होगी और इसका उपयोग सेवा प्रदान करने के लिए पशु सखियों द्वारा किया जाएगा। चूंकि यह एक बार का प्रावधान है, इसलिए पशु सखी सदस्यों को दवा उपलब्ध कराने के लिए शुल्क लेंगी और किट में स-समय आवश्यक दवाइयों का क्रय करना सुनिश्चित करेगी | दवा क्रय हेतु ली जाने वाली राशि का निर्धारण आवश्यकता के अनुरूप सम्बंधित उत्पादक समूह द्वारा किया जायेगा | PG / नोडल ग्राम संगठन इसके उपयोग पर एक सतत निगरानी और पशु सखी द्वारा दवाइयों की रिफिल सुनिश्चित करेगा | किट में खरीदे जाने वाली वस्तुओं का विवरण कार्यालय आदेश पत्रांक संख्या BRLPS / परियोजना / 463/13 / Vol-II / 1366 दिनांक 18.07.2019 के अनुलग्नक में संलग्न है |
4	बकरियों / मेमनों के लिए पैथोलॉजिकल जाँच	मौजूदा बीमारी के जाँच हेतु समय-समय बकरी रोगों का परीक्षण महत्वपूर्ण है ताकि बकरीयों की मृत्यु दर को नियंत्रण में रखा जा सके |
5	प्रदर्शन के लिए अज़ोला किट	इस राशि का उपयोग संबंधित उत्पादक समूह / नोडल ग्राम संगठन के द्वारा निर्धारित घरों पर अजोला के प्रदर्शन हेतु किया जायेगा |
6	डिजिटल वजन मशीन	यह पीजी / नोडल ग्राम संगठन की संपत्ति होगी, जिसका उपयोग पशु सखी द्वारा बकरियों के वजन के लिए किया जाएगा |
7	मोबाइल हैंडसेट	इसका उपयोग पशु सखियों द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन में सेवाओं से संबंधित डाटा की प्रविष्टि के लिए किया जाएगा | लगातार तीन वर्षों तक सेवा प्रदान करने के उपरांत मोबाइल का स्वामित्व संबंधित पशु सखी की होगी जिसका निर्णय संबंधित उत्पादक समूह या नोडल ग्राम संगठन लेगी|

CID घटक		
क्र .सं	**संकेतक**	**विवरण**
1	प्रशिक्षण	यह प्रशिक्षण पशु सखियों द्वारा संबंधित परियोजना कर्मचारियों की उपस्थिति में बकरी पालकों को दिया जाएगा | प्रशिक्षण SPMU से साझा की गई सामग्री के अनुसार दिया जाएगा |
2	स्टील का डिब्बा	SHG के CBOs विशिष्टि (Specification) के अनुसार |
3	व्हाइट बोर्ड	SHG के CBOs विशिष्टि (Specification) के अनुसार |
4	दरी	SHG के CBOs विशिष्टि (Specification) के अनुसार |
5	पीजी मीटिंग खर्च	पीजी की आवश्यकता के अनुसार |
6	लेखन सामग्री	
7	अन्य खर्च	इसका उपयोग ऊपर वर्णित राशि के अतिरिक्त उपयोग किया जाएगा | यह उन मदों में व्यय किया जायेगा जो ऊपर लिखे गए व्ययों के अतिरिक्त है |